any status, such as, metropolitan city status, to be conferred on Kanpur or any other city in India.

(b) The question does not arise.

Commissionary Allowance to Delhi Police

9169. SHRI RASHEED MASOOD:
SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SHRI K. M. MADHUKAR:
SHRI C. CHINASWAMY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether certain additional allowance called commissionary allowance is admissible to all ranks of police personnel including the Commissioner of Police in Bombay while such an allowance is not admissible to the police personnel in Delhi;

(b) if so, the States where police personnel are being given commissionary allowance;

(c) details of the allowance admissible to the police personnel in Bombay (rank-wise) stating the reasons for the non-admissibility of the allowance to the police personnel in Delhi; and

(d) whether Government propose to remove the disparity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

समाज कल्याण योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की मांग

9170. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) समाज कल्याण योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश ने कितनी धनराशि की मांग की है और इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रेषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध करने का निर्णय लिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने छठी योजना के लिए समाज कल्याण स्कीमों के लिए 212 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित स्कीमों की सूची संलग्न है।

(ख) समाज कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत स्कीमों के लिए छठी योजना के लिए 198 लाख रु0 की राशि अनुमोदित की गई है।

प्रस्तावित स्कीमों की सूची

1. महिलाओं और बालकों के कल्याण में लगे हुए स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता।
2. सामुदायिक और बाल कल्याण केन्द्र ।
3. भिक्षुकालय।
4. वृद्धावस्था पेंशन।
5. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल ।
6. निराश्रित महिलाओं और बालकों के लिए कल्पा में राज्य गृह ।